NT>

Title: **Need to take necessary steps to solve the issue of distribution of water of Indira Gandhi Canal among Punjab, Haryana and Rajasthan.**

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : मैं संसद में बाड़मेर-जैसलमेर और जोधपुर जिले के एक भाग का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं सरकार का ध्यान बीकानेर और जैसलमेर जिले की इंदिरा गांधी नहर योजना द्वारा पानी की प्राप्ति और वितरण की ओर दिलाना चाहता हूं। राजस्थान के 16 जिलों और पंजाब व हरियाणा के किसानों ने इंदिरा गांधी नहर के साथ-साथ खेती के लिए जमीनें खरीदी थीं। लेकिन राजस्थान को उसके पानी का हिस्सा न मिलने से किसान पिछले 3-4 सालों से सिंचाई के लिए पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। जिस कारण वर्ा 2000-01, 2001-02, 2002-03 में फसलें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने पर बर्बाद हो गईं। राजस्थान में लगातार चौथे वर्ा सूखा पड़ने से सिंचाई और पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है। पानी की अत्याधिक कमी का कारण कि राजस्थान का 8.6 (MAF) अर्थात 52.7 प्रतिशत राजस्थान का भाग जिसके बारे में 31-12-1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने जो माना था, वह नहीं दिया गया। इस संदर्भ में क्लाज 1 रावी व्यास समझौता 1981 का अवलोकन करें। 20-30 जुलाई 1992 और 6 अप्रैल 1992 में तीन मुख्यमंत्रियों की मीटिंग जो कि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, जिसको भारत सरकार के पास अंतिम फैसले के लिए भेजा था, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अतः मैं प्रधानमंत्री से निम्न पर हस्तक्षेप करने के लिए प्रार्थना करता हूं :

1. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक शीघ्र बुलाकर इस लम्बे समय से लम्बित पड़ी समस्या का समाधान करें।
2. 1981 के समझौते के अनुसार रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल से राजस्थान राज्य का पानी का 8.6 एम.ए.एफ. भाग दिया जाए।
3. राजस्थान में फसलों को क्षति से बचाने के लिए काफी पानी की मांग है, उसे तुरंत छोड़ा जाए।